रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 1993/आश्विन 8, 1915
No. 203] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1993/ASVINA 8, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 166 (पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1993

फाइल सं. आई पी सी/4/5/(291)/92-97—निर्यात-आयात नीति 1992-97 (संशोधित संस्करण मार्च, 1993) के पैरा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 1992-93 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अध्याय 5 में पैराग्राफ 27 के दूसरे वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"पूर्ण रूप से "विकृत रूप में ऊनी रैग्स/सिंथेटिक रैग्स/शौडी ऊन" की मदें भी बिना लाइसेंस के आयात की जा सकती हैं बशर्ते कि यह विकृति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा उनकी सार्वजनिक व्यापार सूचनाओं के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 166|(PN)|92-97

New Delhi, the 30th September, 1993

File No. IPC|415|(291)|92-97.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992-97 (Revised Edition : March 1993), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments, in the Handbook of Procedures, 1992-97 :—

In Chapter V, the second sentence of paragraph 27, shall be substituted by the following :—

"The items "Woollen rags|Synthetic rags|shoddy wool in completely mutilated form" may also be imported without a licence, subject to the conditions that mutilation must conform to the requirements as specified by customs authorities through their Public Trade Notices."

This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993